



दूरभाष—2286709

2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ

नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ— 226001

पत्रांक:— ३१२५/२४१/NULM/तीन/2001(SUH)Vol-III
सेवा में,

दिनांक ६/१/ 2015

श्रम आयुक्त
उत्तर प्रदेश
जी०ठी० रोड, कानपुर

विषय:—हाथरस में राजकीय भूमि पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शेल्टर होम के निर्माण पर लगाई गई रोक को समाप्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया जिलाधिकारी हाथरस के पत्र सं0 574/झूडा/2015–16 दिनांक 23 अक्टूबर 2015 जो आपको सम्बोधित और प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके पत्र सं0 1173–74/गृह अनुरक्षण दिनांक 23.07.2015 द्वारा औद्योगिक श्रमिक वस्ती, हाथरस में पानी की टंकी के पास शेल्टर होम के निर्माण सम्बन्धी कार्य के रोक को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी हाथरस द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि तथ्यों और राजस्व अभिलेखों के अवलोकन, अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, हाथरस की जांच आख्या तथा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल), हाथरस की विधिक राय के परिप्रेक्ष्य में लेवर कॉलोनी के पास अलीगढ़ हाथरस रोड के किनारे संचालित नलकूप व निष्प्रयोज्य पानी की टंकी वाले भूखण्ड पर राजकीय भूमि पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शेल्टर होम का निर्माण किये जाने पर रोक लगाना विधिक दृष्टि से उचित एवं न्यायसंगत नहीं है।

जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर सन्दर्भगत भूमि पर शेल्टर होम के निर्माण पर आप द्वारा लगाई गई रोक औचित्यपूर्ण नहीं है जिसे तत्काल समाप्त किया जाना उचित होगा। ज्ञातव्य है कि निर्माण कार्य रोके जाने से योजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि सन्दर्भित प्रकरण मा० सर्वोच्च न्यायालय में याचिका संया—55/2003 से आच्छादित है जिसकी निरन्तर सघन समीक्षा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है।

अतः उक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि उक्त सन्दर्भित भूमि पर शेल्टर होम निर्माण की रोक तत्काल समाप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक—यथोक्त

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- प्रमुख सचिव, श्रम, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
- सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी यथोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
- सहायक वेब मास्टर सूडा, उ0प्र0 को सूडा की वेबसाइट पर पत्र अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक